......ओखा...... बनाम ...... कोखा ......
...... अपील ...... प्रकरण संख्या...... 14 2017
किस्म मुकदमा ......

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज
27.8.19	वकुलाय फरीकेन उपस्थित। बहस हेतु अवसर चाहते हैं एक अवसर दिया जाता है मिसल तारीख 11.9.19 को पेश हो। [signature] उपखण्ड अधिकारी भीनमाल
11.9.19	वकुलाय फरीकेन उपस्थित। बहस हेतु अवसर चाहते हैं एक अवसर दिया जाता है मिसल तारीख 16-9-19 को पेश हो। [signature] उपखण्ड अधिकारी भीनमाल
16.9.19	वकुलाय फरीकेन हाजिर। आज पीठासीन अधिकारी बाहर पधारे हुए होने से मिसल दिनांक 25.9.19 को पेश हो। [initials]
25.9.19	वकुलाय फरीकेन उपस्थित। प्रकरण की बहस सुनी गई मिसल वास्ते आदेश दिनांक 30-9-2019 को पेश हो। [signature]
30.9.19	वकुलाय फरीकेन हाजिर। प्रकरण का अवलोकन किया गया मामले मे प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया जाता है विस्तृत निर्णय अलग से लिखा जाकर शामिल मिसल किया गया मिसल फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। [signature]

Scanned by CamScanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भीनमाल जिला जालोर
पीठासीन अधिकारी – दौलतराम चौधरी आर.ए.एस.

राजस्व प्रकरण संख्या–14 / 2017

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थीगण
1 गणेशाराम पुत्र चेनाराम कौम घांची भीनमाल		1 ओखा पुत्र कपूराजी माली 2 खीया पुत्र कपूराजी माली 3 फूला पुत्र कपूराजी माली 4 रमेश कुमार वल्द उम्मेदाराम जाति पुरोहित निवासी श्रीमाल नगर भीनमाल 5 जयन्तिलाल वल्द रघुवीर जाति पुरोहित निवासी माघ कोलोनी भीनमाल 6 भूमिधारी तहसीलदार भीनमाल तहसील भीनमाल

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए राज0काश्तकारी अधिनियम

निर्णय दिनांक 30-9-2019

प्रार्थी ने उक्त प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए राज0 काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि सरहद मौजा भीनमाल बी में आराजी खसरा नम्बर 2170 रकबा 3.22 हैक्टर स्थित है। प्रार्थी की खातेदारी आराजी ख न 2170 के लगती हुई प्रार्थी व प्रार्थी के भाई की सामलाती आराजीं खसरा नम्बर 2169/3 रकबा 0. 05 हैकटर स्थित है जिसके लगती हुई दक्षिण में लोरा लोर अप्रार्थी संख्या 1 से 3 तक की खातेदारी खसरा नम्बर 2173 रकबा 1.93 हैक्टर स्थित है एंव उससे लगती हुई अप्रार्थी संख्या 4 व 5 की खातेदारी आराजी ख न 2174 रकबा 4.01 हैक्टर स्थित है। एंव उससे लगता हुआ आम रास्ता डामर सडक भीनमाल से भागलभीम निम्बावास जाने वाला स्थित है। प्रार्थी की आराजी खसरा नम्बर 2170 व 2169/3 में आने जाने के लिए राजस्व रेकार्ड में तरमीम सुदा रास्ता रेकार्ड में उपलब्ध नहीं है। प्रार्थी आम डामर सडक से होते हुए आराजी खसरा नम्बर 2174 के पुवी माठ से लगते हुए आराजी ख न 2173 की पुर्वी माठ से लगते हुए अपनी आराजी ख.न. 2169/3 में से होकर मौके पर विधमान कदीमी भौतिक रास्ते से अपने खेत ख.न. 2170 की आराजी में प्रवेश करता है। एंव इसी माफीक पुर्वाधिकारीयों के समय से कदीम से आवागमन के लिए रास्ते के रूप में उपयोग उपभोग कर रहा है। जो नक्शा परिशिष्ट अ में दर्शाया है। नक्शे में माठ ए से बी आम रास्ता डामर सडक भीनमाल से भागलभीम निम्बावास जाने वाली स्थित है। माठ सी से डी अप्रार्थी संख्या 1 से 5 तक की आराजी खसरा नम्बर 2174 व2173 के पुर्वी माठ पर आम रास्ता है, माठ से डी से ई प्रार्थी व उसके भाई की आराजी ख.न. 2170 व 2169/3 आवागमन के लिए नक्शा परिशिष्ट अ में माठ ए से बी दर्ज आम रास्ते डामर सडक से होते हुए मार्क सी से डी रास्ते से अपनी आराजी मे प्रवेश करता है। ख.न. 2170 व 2169/3 में आवागमन के लिए राजस्व रेकार्ड में दर्ज कटान रास्ता नंही है। उक्त रास्ता आवागमन के लिए निकटतम का एकमात्र

उपखण्ड अधिकारी भीनमाल

Scanned by CamScanner

रास्ता है। जो आवागमन के लिए अत्यन्त आवश्यक है एंव इसके अलावा प्रार्थी के आवागमन के लिए अन्य कोई रास्ता उपलब्ध नहीं है। अप्रार्थीगण को प्रार्थी द्वारा कई बार अनुरोध किया परन्तु रास्ता देने के लिए तैयार नही है तथा साफ इन्कार कर दिया अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी की आराजी ख न. 2174 व 2173 के पुर्वी माठ पर नक्शा परिशिष्ट अ में मार्क सी से डी 30 फीट चौडा रास्ता प्रार्थी की आराजी में प्रवेश करने के लिए दिलाया जावे।

उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर तहसीलदार भीनमाल से वर्णित तथ्यो के सम्बधं में प्रतिवेदन प्राप्त किया गया जो सलग्न पत्रावली है उक्त जांच प्रतिवेदन प्राप्त होने के पश्चात प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस वास्ते सुनवाई तलब किया गया। अप्रार्थीगण संख्या 4 की और से जवाब प्रस्तुत हुआ अन्य अप्रार्थी गण संख्या 1,2,3 व 5 बावजुद इत्तला के भी गैर हाजिर रहे फलस्वरूप अप्रार्थी संख्या 1,2,3,5 के विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गयी।

अप्रार्थी संख्या 5 ने जवाब प्रस्तुत कर उल्लेख किया कि प्रार्थी द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र सही तथ्य को छुपाकर न्यायालय में पेश किया गया है। प्रार्थी ने अपनी खातेदारी भूमि खसरा नमबर 2170 में जाने हेतु अप्रार्थी संख्या 4 व 5 के ख.न 2174 व अप्रार्थी संख्या 1 से 3 की खातेदारी आराजी 2173 के तक पुर्वी माठ के लगतो लगत नक्शा परिशिष्ट अ में सी से डी रास्ता मांगा है जो सार्वजनिक रास्ता से नजदीक प्रस्तावित रास्ता नही है। प्रार्थी की आराजी ख.न. 2170 केपुर्वी की तरफ लगते प्रार्थी के भाइयों के ख.न. 2169, 2169/1 ,2169/2 की आराजी के उत्तर की तरफ लगते ख.न. 2155/1 की आराजी है। उक्त आराजी के उक्त आराजी के उत्तरी तरफ लगते हुए सार्वजनिक आम रास्ता ख.न. 2025 जो भीनमाल से भागलभीम जाता है। ख.न. 2155/1 की आराजी मे आवासीय कालोनी का पलान बनाया हुआ है। जिसमें प्लोट काटकर उत्तर से दक्षिण की तरफ 30 फीट चौडे रास्ते काटे हुए है। उक्त रास्ता सार्वजनिक रास्ता ख.न. 2025 से मिलाये हुए है। जिसे नजरी नक्शा परिशिष्ठ ब मे ए से डी सार्वजनिक रास्ता ख.न. 2025 में दर्शाया हुआ है। तथा सी से डी उक्त आवासीय कालोनी में 30 फीट चौडा रास्ता दर्शाया गया है। जो मार्क डी पर ख न 2169/2 के उत्तरी माठ से लगते हुए है।उक्त ख न 2169/2 के पश्चिमी तरफ 2169/1 व 2169 की आराजी है। उसे आगे ख न 2170 की आराजी प्रार्थी की खातेदारी है। जो मार्क डी से उसकी दुरी केवल 80 मीटर ही है जबकि प्रार्थी ने पेश नक्शा परिशिष्ट में प्रस्तावित रास्ता सी से डी 192 मीटर लम्बाई में है और उसके आगे ख न 2169/3 की आराजी है। उसे आगे 2170 प्रार्थी की खातेदारी आराजी है। जो प्रार्थी द्वारा प्रस्तावित रास्ता की दुरी है ज्यादा है तथा अप्रार्थी द्वारा नजरी नक्शा परिशिष्ठ ब में अंकित मार्क डी से प्रार्थी की आराजी खसरा नम्बर 2170 की दुरी 80 फीट है जो सबसे नजदीक है। उससे आगे प्रार्थी अपनी खातेदारी ख न 2170 में से 2169/3 में आ जा सकता है। नजरी नक्शा परिशिष्ट ब

Scanned by CamScanner

स सलग्न पेश है। प्रार्थी के भाई की खातेदारी आराजी ख.न. 2169, 69/1 व 2169/2 की आराजी की उत्तरी के तरफ लगते खसरा म्बर 2155/1 व 2155 के पश्चिम की तरफ लगते खसरा नम्बर 156 व 2168 की आराजी स्थित है। उक्त खसरा नम्बर 2155/1 व 156 के उत्तरी माठ के लगते सार्वजनिक कटान रास्ता खसरा नम्बरा 025 आया हुआ है जो आम रास्ता है तथा भीनमाल से भागलभीम जाने ाला रास्ता है। उक्त रास्ता प्रार्थी की खातेदारी के नजदीकी रास्ता है। उक्त सार्वजनिक रास्ता खसरा नम्बर 2025 से दक्षिण की तरफ लगते खसरा नम्बर 2155/1 व खसरा नमबर 2156 की आराजी आयी हुई है जो नजरी नक्शा परिशिष्ट स में दर्शाया गये है एवं मार्क ए से बी व सी से डी नजदीकी रास्ता है। उसकी दुरी प्रार्थी द्वारा नक्शा परिशिष्ट अ में मार्क सी से डी की दुरी से कम है। प्रार्थी की खातेदारी खसरा नम्बर 2169/3 में से प्रार्थी की आराजी खसरा नम्बर 2170 में जाने की लम्बाई भी खसरा नम्बर 2169 व 2169/1 के उत्तरी माट से लगते प्रार्थी के खेत में जाने की लम्बाई कम है। प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में खसरा नम्बर 2170 व 2169,2169/1 व 2169/2 की आराजी के उत्तर की तरफ के खसरा नम्बर नहीं दर्शाया गये है। तथा उत्तरी की तरफ सार्वजनिक रास्ता खसरा नम्बर 2025 भी की प्रार्थी की आराजी के नजदीक होने पर जान बुझकर नही दर्शाया गया है। तहसीलदार भीनमाल द्वारा प्रस्तावित रास्ते की मौका जांच भूअ. निरीक्षक भीनमाल व पटवारी भागलभीम से मंगवाई गई है वक्त मौका निरीक्षण अप्रार्थीगण को कोई सूचना नही दी गई तथा एक तरफ मौका देखा गया। प्रार्थी कदीम से खसरानम्बर 2155/1 में से अपनी खातेदारी खसरा नम्बर2170 में आता जाता रहा है ।प्रार्थी ने खसरा नम्बर 2174/4 में से कोई रास्ता की मांग नही की गई है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र. खारीज फरमाई जावे।

हमने दोनो पक्षों की बहस सुनी व बहस पर मनन किया और प्रकरण का अवलोकन किया गया। अप्रार्थी द्वारा अपने जवाब के साथ आराजी खसरा नम्बर 2170 में प्रवेश करने के लिए आराजी खसरा नम्बर 2025 गै0मु0 रास्ता से होते हुए ए बी सी डी रास्ता आराजी खसरा नम्बर 2169/1 व 2169 से होते हुए जाता है। जिसे अप्रार्थी द्वारा परिशिष्ट स में लाल स्याही से दर्शित किया गया है। उक्त रास्ता सबसे नजदीकी रास्ता होना दर्शाया गया है। जबकि तहसीलदार द्वारा अपनी जांच में आराजी खसरा नम्बर भागलभीम से भीनमाल सडक 2175 में से होता हुआ बी से ए नक्शा परिशिष्ट अ में दर्शाया है। तथा डी से ई से प्रार्थी की भूमि खसरा नम्बर 2169/3 दर्शाया गया है। तथा उक्त रास्ता 960 वर्ग मीटर का रकबा दर्शाया गया है। जबकि प्रार्थी के जवाब अनुसार आराजी खसरा नम्बर 2169,2169/1 व 2169/2 की आराजी के उत्तर की तरफ लगते खसरा नम्बर 2155/1 व 2155/1 की पश्चिमी की तरफ लगते खसरा नम्बर 2156 व 2168 की आराजी स्थित है। उक्त खसरा नम्बर 2155/1 व खसरा नम्बर 2156 के उत्तरी माठ के लगते सार्वजनिक कटाण रास्ता खसरा नम्बर 2025 आया हुआ है, जो आम रास्ता है। तथा भीनमाल से भागलभीम जाने वाला रास्ता

Scanned by CamScanner

है। उक्त सार्वजनिक रास्ता प्रार्थी की खातेदारी आराजी खसरा नम्बर 2170 नजदीकी रास्ता है। उक्त सार्वजनिक रास्ता खसरा नम्बर 2025 से दक्षिण की तरफ लगते खसरा नम्बर 2155/1 व खसरा नम्बर 2156 की आराजी आयी हुई है जिसे नजरी नक्शा परिशिष्ट स में दर्शाये गये है मार्क ए से बी व सी से डी नजदीकी रास्ता है। जो उसकी दुरी प्रार्थी द्वारा परिशिष्ट में मार्क सी से डी की दुरी कम है। प्रार्थी की खातेदारी खसरा नम्बर 2169/3 में से प्रार्थी की आराजी खसरा नम्बर 2170 में जाने की लम्बाई भी खसरा नम्बर 2169 व 2169/1 के उत्तरी माट से लगते प्रार्थी के खेत में जाने की लम्बाई कम होना दर्शाया गया है। अप्रार्थी संख्या 4 के उक्त जवाब के विरूद्व प्रार्थी की और से कोई प्रतिउत्तर प्रस्तुत नही किया गया है चुकिः प्रार्थी को आराजी खसरा नम्बर 2025 से नजरी नक्शा परिशिष्ट स में दशौये अनुसार निकटतम दुरी का रास्ता है जो प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में वर्णित नंहीं किया गया है। साथ ही प्रार्थी द्वारा निकटतम दुरी का आराजी खसरा नम्बर 2025 से रास्ता होते हुए भी उसे प्रस्तावित नहीं किया गया है। एवं तहसीलदार द्वारा भी अन्य कोई नजदीकी रास्ता होते हुए भी प्रस्तावित नंही किया गया है। एंव मौका जांच के दौरान भी अप्रार्थी पक्ष को सुचित नहीं किया गया है। मौका जांच में अप्रार्थी संख्या 4 व 5 की खातेदारी खसरा नम्बर 2174/4 दर्शायी गई है तथा उसमें ही प्रार्थी द्वारा मांगा गया प्रस्तावित रास्ता दर्शाया गया है जबकि प्रार्थी ने खसरा नम्बर 2174/4 में से कोई रास्ते की मांग नहीं की गई है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी का उक्त प्रार्थना पत्र प्रार्थी की रास्ते के अत्यान्तिक आवश्यकता प्रतित नहीं होना पाया जाता है। साथ प्रार्थी द्वारा निकटतम दुरी का आराजी खसरा नम्बर 2025 से रास्ता होते हुए भी उसे प्रस्तावित नहीं किया गया है । ऐसी स्थिति में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नही पाया जाता है।

अतः प्रार्थी का उक्त प्रार्थना पंत्र अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम अस्वीकार किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 30.9.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(दौलतराम चौधरी)
उपखण्ड अधिकारी भीनमाल

Scanned by CamScanner